अध्याय-20

विशेष उल्लेख

प्रक्रिया कब और कैसे आरंभ हुई

राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों में सदस्यों द्वारा सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों का उल्लेख करने के बारे में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। राज्य सभा के प्रारंभ के दो दशकों के दौरान यह प्रथा रही कि जो सदस्य सभा और सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर खींचना चाहता है वह सभा की बैठक के आरंभ होने के पूर्व सभापति से उनके कक्ष में मिल सकता है और विषय का उल्लेख करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति ले सकता है। इसके बाद प्रश्नकाल की समाप्ति पर संबंधित सदस्य से कहा जाता था कि वह विषय का उल्लेख करे किंतु कभी-कभी बिना ऐसी अनुमति के भी सदस्यगण अचानक ऐसे मुद्दे उठा देते थे जिससे सभा में अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती थी या ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी जिससे बचा जा सकता था। उदाहरण के लिए 16 अगस्त, 1963 को जब एक सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति के बिना कोई विषय उठाना चाहते थे तब सभापति ने टिप्पणी की: ''मुझे खेद है कि ऐसे विषय जो कार्यावलि में नहीं हैं तब तक सभा में इस प्रकार से नहीं उठाए जाने चाहिए जब तक उनके बारे में मुझसे पहले बात नहीं की गई हो।'' जब वह सदस्य विषय को उठाने के बारे में आग्रह करते रहे तब सभापति ने कहा:

> ''मैं समझता हूं कि सभा मेरी कठिनाई को समझेगी। यदि कोई विषय मुझे यह जानकारी दिए बिना उठाया जाता है कि वह किसके बारे में है तो संभवत: मैं उसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। मुझे पहले ही यह बताया जाना चाहिए कि कौन-सा विषय सभा में उठाया जाने वाला है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह कार्यावलि निरर्थक हो जाएगी।'' यद्यपि सभापति ने सदस्य को मामले का उल्लेख करने की अनुमति दे दी किंतु उन्होंने यह भी टिप्पणी की: ''मुझे आशा है कि आप दुबारा मुझसे ऐसा नहीं कराएंगे।''[1]

> एक अन्य अवसर पर सदस्यों ने सभापति की पूर्व अनुमति से अपने मुद्दे उठाए तब एक सदस्य एक दूसरे मुद्दे को उठाने के लिए खड़े हो गए। सभापति ने उनसे कहा, ''आपने मुझे यह सूचना कभी नहीं दी कि आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं।'' जब सदस्य ने यह स्पष्ट किया कि वह पहले उल्लिखित मामले पर ही एक अलग मुद्दा उठाना चाहते हैं तब उनको उसके लिए अनुमति दे दी गई।[2]

उस समय भी विषयों का उल्लेख करने की प्रथा अनौपचारिक थी। इस प्रथा पर राज्य सभा में दलों और समूहों के नेताओं की 3 अगस्त, 1970 और 21 अगस्त, 1970 को हुई बैठकों में विचार किया गया। इन बैठकों में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

> ''केवल वे सदस्य सभा में किसी विषय का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें सभापति ने उसके लिए अनुमति दी हो। कोई अन्य सदस्य उस पर तब तक न तो बोल सकता है और न उसका उल्लेख कर सकता है जब तक सभापति ने उसकी अनुमति न दी हो। किसी सदस्य को सभापति की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।''[3]

किंतु यह देखा गया कि इस संबंध में कोई निर्धारित प्रक्रिया के न होने के कारण इस प्रथा से कई बार, विशेषत: उस समय जब सभापति सभा की बैठक से संबंधित अविलम्बनीय मामलों में व्यस्त रहते हैं, सदस्यों और सभापति को असुविधा होती है। अत: 11 नवम्बर, 1974 को आरम्भ हुए राज्य सभा के 90वें सत्र से सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित नई प्रकिया लागू की गई:

> कोई सदस्य जो सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करने के लिए सभापति की अनुमति प्राप्त करना चाहता है, उस दिन जब वह सभा में विषय का उल्लेख करने का विचार रखता है, इस प्रयोजन के लिए सूचना कार्यालय् (नोटिस ऑफिस) में उपलब्ध प्रारूप में म॰ पू॰ 10.15 बजे तक, उसके पश्चात् नहीं, लिखित रूप में उस विषय की सूचना देगा। किंतु कोई सदस्य एक बैठक के लिए ऐसी दो से अधिक सूचनाएं नहीं देगा। इस प्रयोजन के लिए सदस्यों का सभापति से व्यक्तिगत रूप से मिलना आवश्यक नहीं होगा। म॰पू॰ 10.15 बजे तक प्राप्त सूचनाएं सभापति के समक्ष उनके विचारार्थ रखी जाएंगी। सभापति द्वारा जिस सदस्य को किसी विशिष्ट मामले को उठाने की जिस दिन अनुमति दी जाएगी उस दिन उस सदस्य को प्रश्नकाल के दौरान अनुमति की सूचना दी जाएगी। जिस सदस्य को ऐसी अनुमति दी जाएगी वह प्रश्नों या ध्यानाकर्षण के, यदि कोई हों तो, निपटाए जाने के बाद उस विषय का उल्लेख कर सकेगा। केवल वह सदस्य सभा में विषय का उल्लेख कर सकेगा जिसे सभापति द्वारा अनुमति दी गई हो। जब तक सभापति द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो तब तक कोई अन्य सदस्य उस पर नहीं बोलेगा।
>
> जिन सदस्यों ने किन्हीं विषयों को उठाने की सूचना दी है किंतु जिन्हें उसकी अनुमति नहीं दी गई है उन्हें उन विषयों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किंतु वे किसी बाद के दिन विषयों को उठाने के लिए सभापति के विचारार्थ नई सूचनाएं दे सकते हैं।[4]

प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व सदस्यों को एक संसदीय समाचार द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया था। ''राज्य सभा हैंडबुक फॉर मेम्बर्स'' नामक पुस्तिका में भी उसका उल्लेख किया गया था।

इस प्रकार से लोक महत्व संबंधी विषयों के बारे में विशेष उल्लेख करने के लिए सदस्यों को अनुमति देने के बारे में राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन विषयक नियमों में किसी विशिष्ट नियम का समावेश नहीं किया गया है तथापि, विशेष उल्लेख करने के लिए परंपरा और आम राय द्वारा एक स्थायी प्रथा का उपरोक्त रूप में विकास हुआ है और वह सुप्रतिष्ठित हो चुकी है।

> नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन विषयक नियमों में विशेष उल्लेख के लिए विशिष्ट नियम सम्मिलित किया जाए। किंतु वह इस सुझाव पर सहमत नहीं हुई क्योंकि समिति की राय थी कि प्रक्रिया नियमों में विशेष उल्लेख का समावेश करके उसे औपचारिक मान्यता देना आवश्यक नहीं है।[5]
>
> समिति ने लगभग एक दशक बाद सुझाव पर पुनर्विचार किया और वह राज्य सभा नियमों में विशेष उल्लेखों के बारे में एक उपबंध की सिफारिश करने के लिए सहमत हो गई। उसने इस प्रयोजन के लिए एक नियम के प्रारूप का भी अनन्तिम रूप से अनुमोदन किया। तथापि, समिति ने इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया और उसे सभा में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं पर उनके विचार–विमर्श के लिए छोड़ दिया।[6] बाद में समिति विशेष उल्लेखों के लिए कोई विशिष्ट नियम बनाने पर सहमत नहीं हुई क्योंकि उसने अनुभव किया कि विद्यमान व्यवस्था संतोषजनक है। समिति का मत था कि विशेष उल्लेख के विषयों के लिए स्वीकृति देना/स्वीकृति न देना, उन्हें सूची में रखना और प्राथमिकता देना सभापति के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।[7]

विशेष उल्लेखों की स्वीकार्यता और विशेष उल्लेख करने की प्रक्रिया को शासित करने वाले नियमों के अभाव को सभा के कार्य के सुचारु संचालन में बाधा माना गया। इसलिए, इस मामले को सामान्य प्रयोजन समिति के समक्ष रखा गया था। जिसने अपनी 28 जुलाई, 1999 की बैठक में इस संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता का समर्थन किया और मामले को नियम समिति को सौंपा गया। नियम समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में, सामान्य प्रयोजन समिति से सहमत होते हुए, सभा में विशेष उल्लेख करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये

नए नियम 180क से 180ङ का प्रस्ताव किया। सभा द्वारा समिति का प्रतिवेदन 15 मई, 2000 को स्वीकार किया गया था और नया नियम 1 जुलाई, 2000 से प्रभावी हुआ। तद्नुसार 190वें सत्र से नियम 180क से 180ङ के अन्तर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को भी विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जा रहा है।

प्रक्रिया

सूचनाएं

प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदस्यों को विशेष उल्लेखों के बारे में सूचित किया जाता है। जो सदस्य विशेष उल्लेख करना चाहता है उसे विहित प्ररूप में लिखित रूप से, जिस दिन नए विषय को उठाना चाहता है, उस दिन के पहले दिन मध्याह्न पश्चात पांच बजे तक सूचना देनी होती है। विषयों के संबंध में सूचनाएं जिन्हें किसी विशेष दिन के लिए नहीं चुना जाता है उन्हें सभापति के विचार के लिए अगले दिन के लिये आगे लाया जाता है। ऐसी सूचनाएं जिनका चयन उस सप्ताह के दौरान, जिसके लिये उन्हें दिया गया है, नहीं किया जाता है, सप्ताह के अन्त में व्यपगत हो जाती हैं और उसकी सूचना उस सदस्य को नहीं दी जाती जिसने सूचना दी थी। वे सदस्य जो अपनी सूचना (सूचनाओं) को अगले सप्ताह के लिए बनाए रखना चाहते हैं वे एक नई सूचना देकर ऐसा कर सकते हैं।[8]

इसके लिए कि सूचना स्वीकार कर ली जाए, इसके साथ एक विशेष उल्लेख का मूल पाठ, जिसमें 250 शब्दों से अधिक शब्द न हों, लगा होना चाहिए; इसमें ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय न हों; इसमें ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिस पर उसी सत्र में चर्चा हुई हो अथवा जो विशेष उल्लेखों को शासित करने वाले नियमों के अधीन सत्र के दौरान किसी सदस्य द्वारा पहले ही उठाए गए मामले से अत्यधिक रूप से समान हो; इसमें एक से अधिक मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए और यह मुद्दा तुच्छ मामलों से संबंधित नहीं होना चाहिए; इसमें बहस, हस्तक्षेप, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियां, आक्षेप, विशेषण अथवा अपमानजनक कथन नहीं होने चाहिए, यह किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा निर्णयाधीन हो; यह हाल ही में हुई घटना के मामले तक ही होना चाहिए; इसमें संसदीय/ परामर्शदात्री समिति की कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए; इसमें व्यक्तियों के आचरण और चरित्र, उनकी सार्वजनिक क्षमता को छोड़कर, का उल्लेख नहीं होना चाहिए और किसी मित्र देश के प्रति किसी अशिष्टता का उल्लेख नहीं होना चाहिए।[9]

किसी सदस्य को एक बैठक के लिए दो से अधिक सूचनाएं नहीं देनी चाहिए।[10] उपरोक्त समय तक प्राप्त सभी सूचनाओं को तारीख और घंटों-मिनटों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है[11] और उन्हें दिनानुदिन सभापति के विचारार्थ उनके समक्ष रखा जाता है। विशेष उल्लेख के लिए सभापति द्वारा स्वीकृति दिए जाने का निर्णय सभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य तक पहुंचा दिया जाता है और उसकी सूचना इस टिप्पणी के साथ उसे लौटा दी जाती है: ''माननीय सभापति ने स्वीकृति दे दी है।'' बाकी ऐसी सूचनाएं जिन्हें उस बैठक के लिए नहीं चुना जाता है व्यपगत समझी जाती हैं और संबंधित सदस्यों को उनकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। किन्तु सदस्य सभा की बाद में होने वाली बैठकों में इन सूचनाओं को नए सिरे से दे सकते हैं। जिन सदस्यों के विशेष उल्लेखों के विषयों के लिए स्वीकृति मिल जाती है उनके नामों तथा स्वीकृत विषयों की सूची प्रतिदिन तैयार की जाती है और सभापीठ के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है। यह सूची सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और प्रेस को उपलब्ध की जाती है।

> नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि सभापति द्वारा अनुमोदित विशेष उल्लेखों की सूची राज्य सभा के बाहरी सभाकक्ष (आउटर लॉबी) के नोटिस बोर्ड में लगाई जाए। किंतु समिति इस सुझाव पर सहमत नहीं हुई।[12]

सभापति का विवेक

किसी सदस्य द्वारा सभा में किए जाने वाले विशेष उल्लेख का चयन करना पूर्ण रूप से सभापति का विशेषाधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में किसी सदस्य द्वारा एक सप्ताह के दौरान, जब तक सभापति निदेश न दें, केवल एक विशेष उल्लेख किए जाने की अनुमति है।[13] किसी विशेष उल्लेख को अनुमति देने या उसकी ग्राह्यता के मुद्दे को सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए किंतु उसे सभापति के समक्ष उनके कक्ष में उठाया जा सकता है।[14]

> एक सदस्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक कर्मचारी द्वारा कथित आत्महत्या के बारे में विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी। एक अन्य सदस्य ने इसी प्रकार के विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना दे रखी थी और जब वह उसके संबंध में निवेदन करना चाहते थे तब उपसभापति ने उन्हें बीच में रोकते हुए टिप्पणी की: ''आप सभा में खड़े होकर सभापति के विवेक पर कैसे आक्षेप कर सकते हैं?... यदि प्रत्येक सदस्य उसके द्वारा दी गई सभी सूचनाओं पर बोलने के लिए उठ खड़ा होगा तो सभा को चलाना असंभव हो जाएगा।''[15]

सामान्यत: किसी सदस्य को एक ही विषय पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि एक ही दिन के लिए एक साथ और एक ही विषय पर एक से अधिक सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो सभापति स्वविवेक के अनुसार यह निर्णय करता है कि किस सदस्य को विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाए, चाहे सूचना का क्रम कुछ भी क्यों न हो।[16]

> 19 जून, 1980 को राज्य सभा में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं की सभापति के साथ एक बैठक हुई जिसमें यह अनुभव किया गया कि यदि एक ही विषय पर एक साथ और एक ही दिन एक से अधिक सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो यह निर्णय करने के लिए एक बैलट किया जाना चाहिए कि किस सदस्य को उस विषय पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाए।[17] किंतु इस सुझाव पर आगे कोई और कार्यवाही नहीं हुई।
>
> 1981 में एक सुझाव दिया गया कि यदि किसी विषय पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है तो उन सभी सदस्यों को, जिन्होंने सूचनाएं दी हैं, बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। नियम समिति ने उस पर विचार किया किंतु वह उस पर सहमत नहीं हुई।[18]

किंतु कुछ मामलों के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए अनेक सदस्यों को विशेष उल्लेख पर बोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों में से कुछ विषय और उन पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या (जो कोष्ठकों में दी गई है) इस प्रकार है:

> न्यायमूर्ति वैद्यलिंगम् आयोग का प्रतिवेदन (8);[19] पुलिस द्वारा नेत्रहीन लोगों के जुलूस पर लाठी चार्ज (12);[20] जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के मामले में उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति का निर्देश (10);[21] प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) की अमरीका यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने का षड्यंत्र (11);[22] पत्रकारों में मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में असंतोष (11);[23] प्रेस की स्वाधीनता को खतरा (10);[24] इंडियन एक्सप्रैस के भवन के पट्टे का रद्द किया जाना; बैंकों के निजीकरण के संबंध में कोठारी पैनल का प्रतिवेदन (3+4);[25] इंडियन एक्सप्रैस के कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस की कार्यवाही (6); इस्त्राइल के कार्मिकों की तैनाती बने रहने के बारे में श्रीलंका के मंत्री का वक्तव्य (4);[26] त्रिपुरा में चुनाव (4);[27] भोपाल में गैस त्रासदी की तीसरी वर्षगांठ (6);[28] श्रीलंका में हुई घटनाएं (9);[29] त्रिपुरा राज्य को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाना (5);[30] कुओ तेल सौदा (5);[31] दिल्ली परिवहन निगम में हड़ताल (8);[32] एच डी डब्ल्यू पनडुब्बी सौदा (4);[33] दैनिक भास्कर के ग्वालियर कार्यालय में पुलिस का छापा (4);[34] कतिपय माल में हथियारों का पता चलना (4);[35] तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा करों में कमी और रियायतें (7);[36] व्यवसाय संघ और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक का विरोध (8);[37] प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की हत्या का षड्यंत्र (13);[38] कुछ राजनीतिज्ञों और अन्य लोगों

की टेलीफोन पर हुई बातचीत का बीच में चोरी-छुपे सुना जाना (9);[39] बिहार के जहानाबाद जिले में हरिजनों की हत्या (3);[40] आन्ध्र प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों का बोट क्लब पर धरना (4);[41] मानहानि विधेयक, 1988 के विरोध में पत्रकारों की हड़ताल (8);[42] तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा राज्य सभा के सदस्य के साथ हाथापाई (8);[43] राज्यों द्वारा मतदान की आयु को कम करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक, 1988 का अनुसमर्थन (3);[44] बम्बई में इंडियन एक्सप्रैस के कार्यालयों पर छापे (5);[45] तस्करों और राजनीतिज्ञों के बीच संबंध (3);[46] त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों पर हमले (13);[47] स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने की घटनाएं (11);[48] कावेरी जल विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (3);[49] बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोने का गिरवी रखना जाना (3);[50] महाराष्ट्र के एक गांव में अनुसूचित जाति के एक पुलिस अधिकारी की हत्या (4);[51] दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में मौलाना अबुल कलाम आजाद की छवि को खराब करके प्रस्तुत किया जाना (1 + अन्य);[52] कर्नाटक में रहने वाले तमिलों के विरुद्ध हिंसा (1 + अन्य);[53] अयोध्या में मन्दिरों का गिराया जाना (17);[54] कुम्हेर में दलितों पर अत्याचार (3);[55] अमरीका द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को काली सूची में रखा जाना (11);[56] और रूस द्वारा रॉकेट प्रौद्योगिकी की बिक्री (2)।[57]

विशेष उल्लेखों को शासित करने वाले नियम बनाए जाने के साथ ही किसी विशेष उल्लेख पर एक से अधिक सदस्य के बोलने की प्रथा 1 जुलाई, 2000 से समाप्त कर दी गई है। केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है और अन्य सदस्य, यदि वे चाहें तो वे किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गए विशेष उल्लेख के साथ स्वयं को सहबद्ध कर सकते हैं।

प्रत्येक बैठक में विशेष उल्लेख के मामलों की संख्या

जहां तक प्रत्येक बैठक में विशेष उल्लेखों की संख्या का संबंध है, इसकी व्यवस्था नियम 180 घ(2) में की गई है कि यह संख्या सात से अधिक नहीं होगी। परन्तु सभापति सभा की किसी बैठक के लिए विशेष उल्लेखों को अनुमति देते समय सभा में कार्य की स्थिति, विषय के महत्व तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर विचार करते हुए विहित संख्या से अधिक को अनुमति दे सकते हैं। सभापति ने 23 अप्रैल, 1981 को सभा को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की 22 अप्रैल, 1981 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया है कि सामान्यत: एक दिन में चार विशेष उल्लेखों से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि एक ही विषय पर एक साथ और एक ही दिन के लिए एक से अधिक सदस्यों से सूचना प्राप्त हो तो चाहे सूचना का क्रम जो भी हो, सभापति को स्वविवेक से यह निर्णय करना चाहिए कि किस सदस्य को विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभापति ने कहा कि उन्होंने सुझाव को स्वीकार कर लिया है और वे इस प्रक्रिया का अनुसरण करने का विचार रखते हैं।[58] किंतु एक सदस्य ने कहा कि वह इस सुझाव से सहमत नहीं हैं और यह चाहते हैं कि प्रत्येक सदस्य को एक या दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति होनी चाहिए और यदि एक से अधिक सदस्य किसी मामले को उठाना चाहते हैं तो बैलट कराया जाना चाहिए।[59] कार्य मंत्रणा समिति ने 10 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ सिफारिश की कि जब ध्यानाकर्षण या अल्पकालिक चर्चा नहीं हो तो दस से अधिक विशेष उल्लेखों को एक दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। समिति ने 5 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में यह मत व्यक्त किया कि सरकारी कार्य के लिए अधिक समय देने के लिए प्रत्येक बैठक में दस से अधिक विशेष उल्लेख नहीं होने चाहिए।[60] किन्तु 174वें सत्र से उनकी संख्या सात तक सीमित कर दी गई है।[61] तथापि, पिछले कई वर्षों से एक बैठक के दौरान दस से अधिक विशेष उल्लेखों की अनुमति दी गई है। उदाहरण के लिए 10 सितम्बर, 1991 को तेईस विशेष उल्लेखों की अनुमति दी गई जबकि 13 मई, 1992 को उनकी संख्या तीस थी। 20 अगस्त, 1992 को तेईस, 31 मार्च, 1993 को बीस और 12 मई, 1994 को पच्चीस विशेष उल्लेख किए गए।

विशेष उल्लेख करने का समय

जैसाकि उल्लेख किया जा चुका है नियमों में विशेष उल्लेख के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है। सभा की किसी बैठक में किसी सदस्य द्वारा किए जाने वाले विशेष उल्लेख का चयन करना पूर्णत: सभापति के विवेक पर है और उसके संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।[62] यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दिन विशेष उल्लेखों की अनुमति दी जाए। कभी-कभी सभा के कार्य को देखते हुए किसी दिन विशेष उल्लेख के मामले की अनुमति नहीं भी दी जा सकती है।

> उदाहरण के लिए, 25 जुलाई, 1991 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक सभा का आवश्यक कार्य पूरा न हो जाए तब तक सभापति विशेष उल्लेख का मामला उठाने की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं।[63]

इन सब बातों को देखते हुए 'विशेष उल्लेख' की मद कार्यावलि में शामिल नहीं की जाती।

सामान्यत: विशेष उल्लेखों को प्रश्नों के निपटाए जाने के बाद या शून्यकाल में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद लिया जाता है। कभी-कभी उन्हें मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद[64] या उन्हें पिछले दिन न लिए जाने पर या उनके बारे में सदन में आम राय होने के कारण प्रश्नकाल के तुरंत बाद लिया गया है।[65]

> नियम समिति ने एक सुझाव पर विचार किया किंतु उसे स्वीकार नहीं किया कि विशेष उल्लेखों को ध्यानाकर्षण के पहले लिया जाना चाहिये।[66] कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि विशेष उल्लेख ध्यानाकर्षण से पहले होने चाहिए। समिति ने मत व्यक्त किया कि चूंकि मामला नियमों से संबंधित है इसलिए उसे नियम समिति को उसके विचारार्थ सौंपा जा सकता है।[67]

सभा की इच्छा के कारण या उसमें आम राय होने के कारण या अविलम्बनीय कार्य को निपटाना आवश्यक होने के कारण कई बार विशेष उल्लेख के मामलों को प्रश्नकाल के बाद नहीं लिया गया किंतु उन्हें मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद या किसी अन्य समय या बैठक की समाप्ति के पहले लिया गया है।[68]

> उदाहरण के लिए बजट पर चर्चा के कारण कार्य मंत्रणा समिति ने सुझाव दिया कि किसी दिन के लिए स्वीकृत विशेष उल्लेख को मंगलवार, 24 मार्च, 1992 से शुक्रवार, 27 मार्च, 1992 को म०प० 6 बजे तक लिया जा सकता है।[69] किंतु इन दिनों के दौरान कोई विशेष उल्लेख गृहीत नहीं किए गए।

विशेष उल्लेख करने की रीति

जिस सदस्य को अनुमति दी गई होती है वह बुलाए जाने पर खड़ा होता है और उस विषय पर संक्षिप्त रूप से बोलता है जिसके लिए अनुमति दी गई है। उसे उस विषय के अतिरिक्त, जिसके लिए उसे अनुमति दी गई है, किसी अन्य विषय का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होती। सभापीठ की पूर्व अनुमति से ही कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य द्वारा किए उल्लेख से स्वयं को संबद्ध कर सकता है।[70] ऐसे मामले में उसे संबद्ध होने तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिये और लंबा भाषण नहीं देना चाहिये। जिस सदस्य को अनुमति नहीं दी गई है उसे सभा में विषय का उल्लेख नहीं करना चाहिये।[71] किसी सदस्य को विषय का उल्लेख करने में सामान्यत: तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।[72]

यदि किसी सदस्य को विशेष उल्लेख की अनुमति दी गई है तो यह उसके विवेक पर है कि वह उसे वापस ले या उस विशेष उल्लेख को न करे।

> आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा व्यय की विहित अधिकतम सीमा का उल्लंघन किए जाने के बारे में एक विशेष उल्लेख को सदस्य ने विषय पर विवाद होने के कारण वापस ले लिया।[73]

विशेष उल्लेख समाप्त करने की समय-सीमा

जुलाई, 1980 में सभापति ने अन्य बातों के साथ घोषणा की कि विशेष उल्लेखों को यथासंभव 15 मिनटों के भीतर समाप्त कर दिया जाना चाहिये।[74] नियम समिति ने सिफारिश की थी कि विशेष उल्लेखों पर आधा घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और उन्हें मध्याह्न पश्चात् 1 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।[75] किन्तु पिछले वर्षों में प्रत्येक बैठक में विशेष उल्लेखों की संख्या देखते हुए इस समय-सीमा के भीतर विशेष उल्लेखों को समाप्त करना संभव नहीं रहा है। वास्तव में ऐसे कई अवसर आए हैं जब एक ही विशेष उल्लेख में काफी समय लगा है। कुछ विशेष उल्लेखों के एक घंटे से अधिक चलने के कुछ हाल के उदाहरण इस प्रकार हैं:

> कश्मीर में बम विस्फोट और पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना;[76] वाराणसी में सांप्रदायिक घटनाएं;[77] अयोध्या में मंदिरों का गिराया जाना;[78] अमरीका द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को काली सूची में दर्ज किया जाना[79]।

तथापि, विशेष उल्लेखों की प्रक्रिया को शासित करने वाले नियम को समाविष्ट किए जाने के साथ इस प्रयोजन के लिए लिया गया समय यथेष्ट रूप से कम हुआ है। चूंकि एक विषय पर एक ही सदस्य को बोलने की अनुमति है अत: किसी विशेष उल्लेख में तीन मिनट से अधिक समय लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी दिन के लिए अनुमति प्राप्त सभी विशेष उल्लेख सामान्यत: मध्याह्न-भोजन के लिए सभा स्थगित होने से पहले ही और कभी-कभी उससे भी पहले ही समाप्त हो जाते हैं।

विशेष उल्लेखों को एक दिन छोड़कर लिया जाना

140वें सत्र (नवम्बर-दिसम्बर, 1986) के दौरान सभापति ने एक अनौपचारिक व्यवस्था प्रस्तुत की जिसके द्वारा उन्होंने एक सप्ताह में ध्यानाकर्षण के लिए एक दिन और विशेष उल्लेखों के लिए उससे अगला दिन नियत किया। कार्य मंत्रणा समिति ने 10 जुलाई, 1992 और 19 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठकों में अन्य बातों के साथ सिफारिश की कि जिस दिन कार्य-सूची में ध्यानाकर्षण या अल्पकालिक चर्चा हो उस दिन विशेष उल्लेख करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।[80] किंतु कई अवसरों पर ऐसा हुआ है कि जिस दिन ध्यानाकर्षण या अल्पकालिक चर्चा थी उस दिन विशेष उल्लेख भी किए गए।[81]

संसदीय समाचार भाग-1 में विशेष उल्लेखों का समावेश

जिन सदस्यों को विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है उनके नामों तथा उनके द्वारा उठाए गए विषयों का संसदीय समाचार भाग-1 में 'विशेष उल्लेख' के शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। विगत में इस संबंध में संसदीय समाचार भाग-1 में ''अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों का उल्लेख'' के अधीन केवल सदस्यों के नामों का उल्लेख किया जाता था, विषयों का नहीं।[82] संसदीय समाचार भाग-1 में सदस्यों के नामों के साथ उनके द्वारा उठाए गए विषयों का उल्लेख करने की प्रथा 104 वें सत्र से शुरू हुई।[83] इन विषयों को 'विशेष उल्लेख' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाने की प्रथा 1985 से शुरू हुई।[84]

विशेष उल्लेखों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही

जब विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाते हैं तब एक सामान्य प्रथा के रूप में मंत्रीगण सभा में उपस्थित होने पर भी उनके संबंध में तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। यदि संबंधित मंत्री उपस्थित है और उत्तर देना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति होती है किंतु वह उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता।[85] तथापि, महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्यों की इच्छा जानने के लिए मंत्रीगण प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करते हैं।[86]

अगस्त, 1981 से, जैसा कि 19 अगस्त, 1981 को हुई कार्य मंत्रणा समिति में अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया गया था,[87] विशेष उल्लेख किए जाने के बाद अगले दिन सभा की कार्यवाही में से संबंधित अंशों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजा जाता रहा है कि विशेष उल्लेख करने वाले सदस्य को उसके संबंध में सीधे ही उत्तर देने के लिए उन अंशों को संबंधित मंत्री के समक्ष रखा जाए। पत्र की एक प्रति संसदीय कार्य मंत्रालय को भी भेजी जाती है जो विशेष उल्लेख द्वारा उठाए गए मामलों पर मंत्रालयों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित कराने वाला प्रमुख मंत्रालय है।[88] इस मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों को विशेष उल्लेखों के विषयों पर उनके द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही और विशेष उल्लेखों के संबंध में उत्तर देने की समय-सीमा के बारे में विभिन्न अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ यह कहा गया है:

(1) सचिवालय से कार्यवाही के संबंधित अंश प्राप्त होने पर मंत्रालयों को उसे अपने मंत्रियों की सूचनार्थ उनके समक्ष रखना चाहिये।

(2) मंत्रालयों को विशेष उल्लेखों के विषयों की जांच करनी चाहिए और विषयों के उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उनका उल्लेख करने वाले सदस्यों को उत्तर भेजना चाहिये।

(3) यदि कई स्रोतों से सूचना एकत्र करने जैसे कारणों से किसी विषय के संबंध में इस समय-सीमा का पालन करना संभव न दिखाई दे तो मंत्री द्वारा संबंधित सदस्य को अंतरिम उत्तर भेजा जाना चाहिये जिसमें यह बताया जाना चाहिये कि कितने विलंब की संभावना है और मामले को अंतिम रूप से निपटाने में लगभग कितना समय लगेगा।

(4) जब संसद् का सत्र चल रहा हो तब सदस्यों को सभी पत्र उनके दिल्ली के पते पर भेजे जाने चाहिए। सत्रावकाश की अवधि में ऐसे पत्र सदस्यों के स्थानीय पतों के साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाने चाहिएं।

(5) सामान्यत: सदस्यों को मंत्री के हस्ताक्षर से पत्र भेजे जाने चाहिएं। किंतु अपवादात्मक मामलों में, उदाहरणत: जब मंत्री दौर पर हों या बीमार हों, सदस्यों को ऐसे किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र भेजे जा सकते हैं जिसका पद संयुक्त सचिव के पद से छोटा न हो।[89]

उपरोक्त के होते हुए भी विशेष उल्लेखों का निर्धारित समय पर उत्तर प्राप्त न होने का मामला सभा में समय-समय पर उठाया जाता रहा है।

7 मई, 1985 को प्रश्नकाल के तुरंत बाद सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> मेरे सामने यह बात लाई गई है कि मंत्रियों ने इस सभा के सदस्यों द्वारा किए गए विशेष उल्लेखों का उत्तर नहीं भेजा है। मैं चाहता हूं कि सभा के नेता इस पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि उत्तरों को भेजा जाए और शीघ्रता से भेजा जाए।[90]

> सभा के नेता (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह अधिक से अधिक सहयोग देंगे। इसके पश्चात् एक सदस्य ने उन तीन विशेष उल्लेखों का जिक्र किया जो उन्होंने पिछले सत्र में किए थे। एक अन्य सदस्य ने 1984-85 के वर्ष के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी) के पृष्ठ 46 में पैरा 7.15 का उल्लेख करते हुए विशेष उल्लेखों के ऐसे दो उदाहरणों को उद्धृत किया जहां एक महीने से अधिक अवधि के बाद उत्तर भेजे गए और यह कहा कि वार्षिक प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है उसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। सभा के नेता ने ''यथाशीघ्र उत्तर दिलाने के लिए'' अधिकतम सहयोग का आश्वासन दिया (वार्षिक

प्रतिवेदन में मंत्रालयों द्वारा सदस्यों को उत्तर भेजने के लिए उपरोक्त एक सप्ताह की निर्धारित अवधि का उल्लेख किया गया था)।

इसके बाद 5 सितम्बर, 1991 को एक सदस्य ने पुन: यह शिकायत की कि विशेष उल्लेखों के उत्तर कई वर्षों से नहीं दिए गए हैं।[91] उपसभापति ने 9 दिसम्बर, 1991 को निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

सदस्य विशेष उल्लेख करते हैं। वे कुछ विषयों का उल्लेख करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे हम मंत्री की प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त कर सकें किंतु कम-से-कम एक सप्ताह या दो सप्ताह के भीतर सदस्यों को उत्तर दे दिया जाना चाहिये। सदस्य कतिपय ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं। मेरा संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संबंध में संबंधित मंत्रियों से बात करना और उनको पत्र लिखना आवश्यक समझें।[92]

एक सदस्य ने 18 मार्च, 1993 को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में यह मामला उठाया कि उन्होंने 15 मई, 1990 को सभा में जो विशेष उल्लेख किया था उसका उत्तर उन्हें 10 मार्च, 1993 को अर्थात् लगभग तीन वर्ष बाद मिला।[93]

इस संदर्भ में नियम समिति ने 1984 में कुछ सदस्यों के इस सुझाव पर विचार किया कि सभा की एक समिति गठित की जाए जो सदस्यों द्वारा सभा में किए गए विशेष उल्लेखों के उत्तर दिए जाने के संबंध में सतत् निरीक्षण करे। यद्यपि समिति इस सुझाव पर सहमत नहीं हुई तथापि उसने यह प्रस्ताव रखा कि जैसा कि सरकारी आश्वासनों के मामलों में होता है, संसदीय कार्य मंत्री को प्रत्येक सत्र के दौरान सभा पटल पर एक विवरण रखना चाहिये जिसमें यह बताया गया हो कि सभा में सदस्यों द्वारा किए गए विशेष उल्लेखों पर सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है। किंतु सरकार ने इस प्रस्ताव पर अनुकूल रुख नहीं अपनाया[94] इसके बाद 1992 में समिति ने इस सुझाव पर पुन: विचार किया। समिति ने अनुभव किया कि इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की एक अनौपचारिक समिति गठित की जा सकती है। किंतु इस समय मामला यहीं पर अटका हुआ है।[95]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.8.1963, कालम 425-26
2. -वही- 26.11.1963, कालम 425-26
3. फाइल सं॰ 7/4/70-एल
4. संसदीय समाचार (2), 30.10.1974 और 8.11.1974
5. नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन का कार्यवृत्त, 19.6.1978 (अंग्रेजी), पृष्ठ 17-18
6. नियम समिति का कार्यवृत्त, 23.8.1989
7. -वही- 18.8.1992
8. नियम 180ग
9. नियम 180ख
10. समय-समय पर जारी किए गए संसदीय समाचार (2); उदाहरण के लिए **देखिए** 14.11.1995 का संसदीय समाचार (2)
11. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 1.8.1986
12. नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन का कार्यवृत्त, 24.1.1979 (अंग्रेजी), पृष्ठ 25
13. नियम 180घ(1)
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.7.1978, कालम 217; 25.7 1978, कालम 174
15. -वही- 18.3.1975, कालम 156

16. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 22.4.1981; राज्य सभा वाद-विवाद, 23.4.1981, कालम 171; संसदीय समाचार (2), 23.4.1981
17. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.7.1980, कालम 5; संसदीय समाचार (2), 3.7.1980
18. नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन का कार्यवृत्त, 5.8.1981 (अंग्रेजी), पृष्ठ 37
19. संसदीय समाचार (1), 4.2.1980
20. -वही- 17.3.1980
21. -वही- 22.4.1981
22. -वही-14.5.1985
23. -वही- 21.4.1986
24. -वही- 17.3.1987
25. -वही- 16.11.1987
26. -वही- 19.11.1987
27. -वही- 30.11.1987
28. -वही- 3.12.1987
29. -वही- 8.12.1987
30. -वही- 23.2.1988
31. -वही- 14.3.1988
32. -वही- 22.3.1988
33. -वही- 30.3.1988
34. -वही- 26.4.1988
35. -वही- 29.4.1988
36. -वही- 9.5.1988
37. -वही- 27.7.1988
38. -वही- 2.8.1988
39. -वही- 9.8.1988
40. -वही- 16.8.1988
41. -वही- 31.8.1988
42. -वही- 6.9.1988
43. -वही- 24.11.1988

44. संसदीय समाचार (1), 19.12.1988

45. –वही– 8.3.1989

46. –वही– 2.5.1989

47. –वही– 9.5.1989

48. –वही– 16.8.1989

49. –वही– 23.5.1990

50. –वही– 18.7.1991

51. –वही– 29.8.1991

52. –वही– 6.9.1991

53. –वही– 16.12.1991

54. –वही– 23.3.1992

55. –वही– 8.7.1992

56. –वही– 12.5.1992

57. –वही– 5.5.1992

58. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 22.4.1981; राज्य सभा वाद–विवाद, 23.4.1981, कालम 171 और संसदीय समाचार (2), 23.4.1981

59. राज्य सभा वाद–विवाद, 23.4.1981, कालम 192–95

60. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 10.7.1992 और 5.8.1993

61. संसदीय समाचार (2), 13.7.1995

62. राज्य सभा वाद–विवाद, 18.3.1975, कालम 156

63. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 25.7.1991

64. राज्य सभा वाद–विवाद, 15.3.1982, कालम 190; 26.3.1982, कालम 3; 31.3.1982, कालम 91 और 27.4.1984, कालम 185

65. –वही– 26.7.1985, कालम 166; 16.9.1991, कालम 15, इत्यादि

66. नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन का कार्यवृत्त, 5.8.1981, पृष्ठ 37

67. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 1.8.1986

68. राज्य सभा वाद–विवाद, 9.1.1991, 10.1.1991, 11.1.1991, 26.2.1991, 5.3.1991, 15.7.1991, 25.7.1991, 13.9.1991, 29.11.1991, 2.12.1991, 5.12.1991, 6.12.1991, 11.12.1991, 13.12.1991, 10.3.1992, 16.3.1992, 18.3.1992, 31.3.1992, 29.4.1992, 8.5.1992, 13.5.1992, 14.5.1992, 10.8.1992, 18.8.1992, 19.8.1992, 20.8.1992, 19.3.1993, 31.3.1993, 10.5.1993, 26.7.1993, 29.7.1993, 27.8.1993, 22.12.1993, 16.3.1994, 26.4.1994, 12.5.1994, 15.6.1994, 26.7.1994, 22.8.1994, 25.8.1994

69. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 23.3.1992

70. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.3.1986, कालम 35

71. -वही- 25.3.1980, कालम 257; 24.11.1986, कालम 238

72. -वही- 3.7.1980, कालम 5; संसदीय समाचार (2), 3.7.1980; राज्य सभा वाद-विवाद, 20.3.1985, कालम 141

73. -वही- 23.2.1988, कालम 207-08

74. संसदीय समाचार (2), 3.7.1980

75. नियम समिति के सातवें प्रतिवेदन का कार्यवृत्त, 21.12.1994 और 14.2.1995

76. संसदीय समाचार (1), 16.8.1989

77. -वही- 20.11.1991

78. -वही- 23.3.1992

79. -वही- 12.5.1992

80. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 10.7.1992 और 19.8.1993

81. संसदीय समाचार (1), 25.11.1986, 8.5.1987, 16.3.1988, 28.4.1988, 7.12.1988, 26.4.1989, 10.5.1990, 10.1.1991, 15.7.1992, 23.2.1993, 29.7.1993, 15.3.1994, 14.6.1994, 23.8.1994, 26.8.1994

82. -वही- 18.7.1977

83. -वही- 21.2.1978

84. -वही- 21.11.1985

85. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.8.1985, कालम 145 और 20.12.1985, कालम 198

86. संसदीय समाचार (1), 22.4.1981, 12.3.1987, 24.11.1988, 19.12.1988, 3.4.1989, 2.5.1989, 20.8.1990, 12.7.1991, 16.7.1991, 18.7.1991, 10.9.1991, 2.12.1991, 6.12.1991, 16.12.1991, 27.2.1992, 4.3.1992, 9.3.1992, 23.3.1992, 13.5.1992, 26.11.1992, 2.3.1993, 11.3.1993, 17.8.1993, 23.8.1993 और 24.8.1993

87. फाइल सं॰ 7/5/80-एल

88. संसदीय कार्य मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं॰ एफ॰ 14(3)/89-लेज 2, दिनांक 15.7.1993

89. -वही-

90. राज्य सभा वाद-विवाद, 7.5.1985, कालम 171-73

91. -वही- 5.9.1991, कालम 284

92. राज्य सभा वाद-विवाद, 9.12.1991, कालम 201

93. -वही- 18.3.1993 और फाइल सं॰ 35/12/93-एल

94. नियम समिति के चौथे प्रतिवेदन का कार्यवृत्त, 29.5.1994 (अंग्रेजी), पृष्ठ 21

95. नियम समिति का कार्यवृत्त, 18.8.1992